संयुक्त प्रांत राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1935 {संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 1, 1935}

THE UNITED PROVINCES NATIONAL PARKS ACT, 1935 [U.P. ACT NO. 1 OF 1935]

संयुक्त प्रांत राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1935¹ (संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 1, 1935)

गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया (एडेप्टेशन आफ इण्डियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत

{गवर्नर ने 23 मार्च, 1935 तथा गर्वनर जनरल ने 10 अप्रैल, 1935 को स्वीकृति प्रदान की तथा गवर्नमेंट आफ इंडिया, ऐक्ट, 1919 की धारा 81 के अधीन 11 मई, 1935 को प्रकाशित² हुआ।}

राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करने तथा वन्य प्राणी जीव या उनमें अन्य वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं के परिरक्षण तथा आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

यह इष्टकर है कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करने के लिये व्यवस्था की जाये और चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की धारा 80—क की उपधारा (3) के अधीन गर्वनर जनरल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है ;

अतः एतदुद्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :---

1--(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रांत राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1935 कहलायेगा ।

संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) यह अधिनियम ऐसे दिनांक³ से प्रचलित होगा, जिसे {राज्य सरकार}⁴ एतदर्थ {सरकारी गजट}⁵ में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करें ।

- 1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये गजट 1934, भाग 8 पृष्ठ 245 देखिये ;
- 2. गजट 1935 भाग ७ पृष्ठ संख्या ४५–४७ देखिये ।
- 3. यह अधिनियम 8 अगस्त, 1936 को प्रवृत्त हुआ । गजट 1936 भाग 1, पृष्ठ 891 पर विज्ञप्ति सं0 542—1 / 14—235 (1) 1933, दिनांक 6 अगस्त, 1936 देखिये ।

इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम अथवा आज्ञा के अन्तर्गत, तथा स्तम्भ 3 में अंकित विज्ञप्ति यदि कोई हो, के अर्न्तगत उन क्षेत्रों में, स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से प्रभावी किया गया है, जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने अंकित है:

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदेश, जिनके अन्तर्गत प्रसार किया गया	विज्ञप्ति, जिसके द्वारा प्रभावी किया गया	तिथि, जिससे प्रभावी हुआ
1	2	3	4
1– जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट 1950		30 दिसम्बर, 1949
2– जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1949	संख्यायें 3262(1) / 17, दिनांक 30 नवम्बर, 1949	30 नवम्बर, 1949
3– जिला टिहरी गढ़वाल	टिहरी गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर 1949	तदैव	तदैव

- 4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविन्धियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 के द्वारा (लोकल गवर्नमेंट) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।
- 5. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 के द्वारा (गजट) के लिये प्रतिस्थापित ।

{संयुक्त प्रांत राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1935}

धारा 2-6

2— संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में तथा इस अधिनियम के अधीन नियमों में — परिभाषाएं

- (1) ''पशु'' से तात्पर्य किसी स्तनपायी प्राणी, सरीसृप (रेंगने वाले जानवर) (अजगर के अतिरिक्त अन्य सांपों के छोडकर) अथवा पक्षी से है ;
- (2) ''वन अधिकारी'' से तात्पर्य उस वन अधिकारी से है, जो भारतीय वन अधिनियम (इंडियन फोरेस्ट ऐक्ट), 1927 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त किया गया हो:
 - (3) ''उद्यान'' से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित राष्ट्रीय उद्यान से है;
- (4) ''पाश'' में ऐसा कोई उपाय या युक्ति सिम्मिलित है, जिसके द्वारा किसी पशु का पकडा जा सकें;
- (5) ''शस्त्र'' में कोई आग्नेयास्त्र या उसके लिये गोली—बारूद या कोई अन्य यंत्र सम्मिलित है, जिससे प्रक्षेपणीय गोली चलाई जा सके अथवा जिसे इस रीति से चलाया जाय या प्रयोग किया जाय जिससे कोई पशु मारा या घायल किया जा सके।
- 3— इस अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित किये गये क्षेत्र¹ को उक्त क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य प्राणी जीव या वैज्ञानिक महत्व की अन्य वस्तुओं के प्रचार तथा परिरक्षण के लिये एतद्द्वारा राष्ट्रीय उद्यान संघटित किया जाता है ।

राष्ट्रीय उद्यान का संघटन

4— {राज्य सरकार}² इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये {सरकारी गजट}³ में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी अन्य सरकारी वन क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संघटित कर सकती है और इस प्रकार संघटित किया गया कोई उद्यान इस अधिनियम के अधीन संघटित किया गया समझा जायेगा:

अन्य राष्ट्रीय उद्यानों का संघटन

प्रतिबंध यह है कि ऐसी कोई विज्ञप्ति {राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों} पारित किये गये संकल्प की सिफारिश के अतिरिक्त अन्यथा नही जारी की जायेगी ।

5— किसी उद्यान की सीमाये परिवर्तित नहीं की जायेगी और ऐसे उद्यान का कोई भाग {राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों} द्वारा पारित किये गये संकल्प की सिफारिश के अतिरिक्त अन्यथा अन्य संक्रामण योग्य नहीं होगा। उद्यानों की सीमायें

6— (1) {राज्य सरकार}⁵ के नियंत्रण के अधीन रहते हुये मुख्य अरण्यपाल इस अधिनियम के अधीन संघटित किसी उद्यान का नियंत्रण करने, प्रबंध करने तथा अनुरक्षण करने के लिये प्राधिकारी होगा और उक्त प्रयोजनों के लिये वह किसी उद्यान के भीतर निम्नलिखित कार्य कर सकता है —

उद्यानों का नियंत्रण और नियंत्रण प्राधिकारी के कृत्य और कर्तव्य

अनुसूची में वर्णित पार्क की परिवर्तित सीमाओं के लिये गजट 1940, भाग एक पृष्ठ, 562 पर विज्ञप्ति सं0 721/14–235 (1) 1933, दिनांक 08 जुलाई, 1940 देखिये। परिवर्तित सीमायें अनुसूची के फुट नोट में उल्लिखित है।

^{2.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविन्धियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 के द्वारा (गवर्नर इन काउन्सिल) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

^{3.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 के द्वारा (गजट) के लिये प्रतिस्थापित ।

^{4.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविन्धियल लेजिस्लेचर के दोनों चैंबर) के लिये प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 के द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सिन्ज लेजिस्लेटिव काउन्सिल) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

^{5.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविन्षियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 के द्वारा (गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

{संयुक्त प्रांत राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1935}

धारा 7-9}

- (क) ऐसी सड़कों, पुलों, भवनों और बाड़ों का निर्माण करना तथा ऐसे अन्य निर्माण कार्य को कार्यान्वित करना, जिन्हें वह ऐसे उद्यान के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समझे; और
- (ख) वह ऐसी कार्यवाही करेगा, जिससे ऐसे उद्यान में प्राणि जीव की सुरक्षा तथा उक्त उद्यान का एवं उसमें रहने वाले पशुओं का उनकी प्राकृतिक अवस्था में परिरक्षण सुनिश्चित हो सकें ; और
- (ग) दर्शकों के रहने के लिये, या दुकानों या अन्य उपक्रमों के लिये भवन खड़े करने की अनुज्ञा देना, प्रतिबंध यह है कि ऐसा प्रबंध हो कि उपक्रमों का उचित नियंत्रण मुख्य अरण्यपाल द्वारा किया जाय ।
- (2) मुख्य अरण्यपाल, समय—समय पर वन विभाग के ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है या उनका दुरूपयोग कर सकता है जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों।
- 7— किसी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर ऐसे किसी अधिकार में जो किसी वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम (इंडियन फारेस्ट ऐक्ट), 1878 के अधीन या भारतीय वन अधिनियम (इंडियन फारेस्ट ऐक्ट), 1927 के अधीन गृहीत और अभिलिखित किया गया हो, या जो इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व किसी को प्रदान किया गया हो, प्रभावित अधिकारधारी या गृहीता की सहमति के बिना न तो कोई परिवर्तन किया जायेगा और न ही उसमें कोई हस्तक्षेप किया जायेगा ।

उद्यान में अधिकारियों के अपवाद

8—— (1) {राज्य सरकार}¹ द्वारा बनाये गये नियमों के अतिरिक्त अन्यथा कोई व्यक्ति उद्यान में न तो प्रवेश करेगा और न निवास करेगा । प्रयोजन, जिनके लिये उद्यान में प्रवेश किया जा सकता है

- (2) निम्नलिखित प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति उद्यान में न तो प्रवेश करेगा और न निवास करेगा :--
 - (क) स्वास्थ्य, अध्ययन या विनोद या उनसे आनुषंगिक विषय ;
 - (ख) ऐसे मार्गो से यात्रा करना या सामान ले जाना, जो नियमों द्वारा निर्धारित किये जाये ; और
 - (ग) उद्यान के भीतर किसी वैध कार्य का सम्पादन ।
- 9— नीचे दी गयी विमुक्तियों के अधीन रहते हुये वन विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के लिये—

उद्यान में कतिपय कार्यो का प्रतिषेध

(क) मुख्य अरण्यपाल या उनके द्वारा ऐसी आज्ञा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत वन विभाग के किसी अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना तथा इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये उद्यान में या उसकी संमीमा के भीतर कोई विस्फोटक, पाश या विष ले जाना या अपने पास रखना वैध न होगा:

प्रतिबंध यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आयुध अधिनियम (आर्म्स ऐक्ट), 1959 या उनके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन ऐसे क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई शस्त्र ले जाने या अपने अधिकार में रखने का हकदार हो, जिसमें वह उद्यान स्थित हो, अरण्यपाल या उसके ऊपर कथित ऐसे अधिकारी को उचित सूचना देने के पश्चात उद्यान के भीतर ऐसे शस्त्र या उसके लिये गोली—बारूद ले जा सकेगा या अपने अधिकार में रख सकेगा;

^{1.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 के द्वारा (प्राविन्धियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित जो एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 के द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित किया गया था।

(धारा 10)

(ख) किसी उद्यान के भीतर किसी पशु को मारना, घायल करना, पकड़ना या विक्षुब्ध करना अथवा किसी पक्षी का अंडा या घोंसला लेना या नष्ट करना वैध न होगाः

प्रतिबंध यह है कि मानव जीवन की रक्षा के लिए कोई भी खतरनाक पशु मारा जा सकेगा; और

प्रतिबंध यह भी है कि मुख्य अरण्यपाल की अनुज्ञा से जीवन या सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कोई भी पशु मारा जा सकेगा ;

- (ग) किसी उद्यान को या उसके भीतर किसी वस्तु को जानबूझ कर या अनवधानता से आग द्वारा या अन्यथा क्षति पहुंचाना वैध न होगा ;
- (घ) मुख्य अरण्यपाल की अनुज्ञा के बिना किसी उद्यान में कोई पशु छोड़ना, या किसी पालतु पशु को जानबूझकर किसी उद्यान में प्रविष्ट कराने की अनुज्ञा देना वैध न होगा :
- (ङ) ऐसे उद्यान में वैधतः छोड़े गये किसी पशु, या पशु के किसी भाग के अतिरिक्त उक्त उद्यान में किसी जीवित या मृत पशु को हटाना वैध न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उद्यान में कर्तव्यस्थ प्रवेश करने वाले {सरकार² सेवा में लगे} किसी व्यक्ति पर खण्ड (क), (घ) और (ङ) लागू न होंगे और किसी वन बन्दोबस्त के अधीन अनुज्ञात सीमा तक अधिकार तथा रियायत धारकों पर खण्ड (घ) और (ड.) लागू न होंगे।

10— {राज्य सरकार}³ इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए तथा विशेष रूप से निम्नलिखित समस्त विषयों अथवा उनमें से किसी भी विषय के लिए नियम बना सकती है :—

नियम बनाने का अधिकार

- (क) निम्नलिखित के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों तथा सेवकों के अधिकार और कर्तव्य—
 - (1) उद्यान के भीतर किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों से जनसाधारण के सदस्यों का अपवर्जन;
 - (2) उद्यान के भीतर किसी पशु को मारना, पकड़ना या परिबद्ध करना और ऐसे पशु का निस्तारण;
 - (3) उद्यान के किस पशु, वनस्पति या खनिज अथवा अन्य उत्पाद का निस्तारण;
- (ख) वे शर्तें, जिनके अधीन कोई व्यक्ति धारा 8 के अधीन उद्यान में प्रवेश कर सकता या निवास कर सकता है और समय की वह अवधियां, जिनके दौरान में उद्यान या उसका कोई भाग जनता के लिए खुला रहेगा;
- (ग) वे शर्तें, जिनके अधीन उद्यान में प्रवेश करने वाले, उससे गुजरने वाला या उसके भीतर पडा़व करने वाला कोई व्यक्ति वन विभाग के अधिकारियों या सेवकों की सेंवायें या उपस्थिति प्राप्त कर सके और ऐसी सेवाओं या उपस्थिति के लिए देय शुल्क;
- (घ) धारा 8 के अधीन उद्यान में प्रवेश या निवास के लिए, उद्यान के भीतर चित्र लेने के लिए या उद्यान के प्रयोग और मनोरंजन से संबंधित अन्य किसी प्रयोजन के लिए पशुओं या मोटर गाड़ियों या अन्य गाड़ियों के प्रवेश के संबंध में अनुज्ञा की प्राप्ति के लिए देय शुल्क (यदि कोई हो);

^{1.} एडेप्शन आफ लाज आर्डर 1937 द्वारा (गवर्नमेन्ट आफिशियल) के लिए प्रतिस्थापित।

^{2.} एडेप्शन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (काउन) के लिए प्रतिस्थापित।

एडेप्शन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो एडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गबर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

{संयुक्त प्रांत राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम, 1935}

धारा 11-13}

- (ङ) उद्यान, उसमें रहने वाले पशुओं तथा उसकी सम्पत्ति का संरक्षण और परिरक्षण;
- (च) उद्यान में यातायात का विनियमन तथा यात्रियों को ले जाना, वे स्थान जहां से व्यक्ति उद्यान में प्रवेश कर सकें और वे मार्ग, जिनसे होकर वे उद्यान के भीतर से गुजर सकें
- (छ) उद्यान के किसी वृक्ष, पुल, चट्टान, बाड़, स्थान या अन्य वस्तु को लेखन द्वारा या अन्यथा कुरूप होने से संरक्षण प्रदान करना;
 - (ज) अपराधों का अभिसंधान (राजीनामा) करने का अधिकार;
 - (झ) मुख्य अरण्यपाल द्वारा उसके अधिकारों का प्रत्यायोजन।
- 11— (1) जो व्यक्ति इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, वह ऐसी अविध के लिए कारावास के दण्ड से जो एक महीने तक हो सकता है या अर्थ—दण्ड से जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

शास्तियां

- (2) कोई ऐसा पशु या उसका कोई भाग, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो और ऐसा कोई अपराध करने के लिए प्रयोग किया गया कोई शस्त्र या पाश जब्ती का दायी होगा। ऐसी जब्ती उक्त अपराध के लिए विहित किए गए अन्य किसी भी दण्ड के अतिरिक्त हो सकती है।
- 12— (1) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के संबंध में भारतीय वन अधिनियम (इंडियन फारेस्ट ऐक्ट), 1927 की धारा 64 से 68 तक के वे उपबन्ध जो प्रयोज्य हों, इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वह अपराध भारतीय वन अधिनियम, (इंडियन फारेस्ट ऐक्ट), 1927 के अधीन दण्डनीय वनापराध हो।

बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने तथा तलाशी लेने का अधिकार

अधिनियम सं0 16, 1927

- (2) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उद्यान के भीतर किसी ऐसे स्थान भवन खेमे गाड़ी या पात्र की तलाशी ले सकता है, जिसके संबंध में उचित रूप से यह संदेह हो कि उसमें कोई ऐसी वस्तु है, जो धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन जब्त की जा सकती है और वह ऐसी कोई वस्तु का जहां कहीं भी वह पायी जाये, अभिग्रहण कर सकता है तथा उसे प्रतिधारित कर सकता है।
- 13—— इस अधिनियम में दी गयी कोई बात इस अधिनियम के अधीन उद्यान के रूप में संघटित किये गये किसी क्षेत्र के संबंध में भारतीय वन अधिनियम (इंडियन फारेस्ट ऐक्ट), 1927 के उपबंधों के प्रवर्तन को प्रभावित या सीमित न करेगी ।

अपवाद

(अनुसूची)

अनुसूची

धारा 3 में उल्लिखित राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं का विवरण

उत्तर— सुल्तान बंगले से सांगुरी सोत (Sanguri Sot) के नीचे से गैराल तक, उसके बाद नीचे की तरफ रामगंगा नदी के बायें किनारे से रूनानी पड़ाव तक, उसके बाद पश्चिम की तरफ नीचे पाटली दून सड़क से बक्सर पुल तक ।

पश्चिम— इसके बाद पश्चिम और दक्षिण में नीचे की तरफ रामगंगा नदी के बाये किनारे से कालागढ़ तक।

दक्षिण— इसके बाद पूर्व की तरफ रक्षित वन सीमा से होते हुए रक्षित वन सीमा स्तम्भ संख्या 795 तक, जहां तक वह कालागढ़ रक्षित वन के अधिकार क्षेत्र संख्या 4 की सीमा से मिलती है । इसके बाद अधिकार क्षेत्र संख्या 4 की सीमा से होते हुये उस स्थल तक जहां वह कोटी राउ (Koti Reo) के ऊपर उस स्थल तक जहां वह मैलानी—जमनाग्वार (Malani Jamnagwar) सड़क से मिल जाती है। इसके बाद पूरब की तरफ इस सड़क से होते हुए उस स्थल तक जहां वह बिजरानी सोत (bijrani sot) से मिल जाती है।

पूर्व— इसके बाद बिजरानी सोत तथा रत्तीपानी राव के ऊपर इसके शीर्ष तक। इसके बाद सीधी रेखा में बाड़ा पनोद (Bara Panod) के शीर्ष तक इसके बाद बाड़ा पानोद नीचे की तरफ उस स्थल तक जहां वह रामनगर—रानीखेत सड़क से मिलती है। इसके बाद सड़क के किनारे—िकनारे धानगढ़ी तक। इसके बाद धानगढ़ी सुल्तान (Dhangarhi Sultan) बैलगाडी सडक से होते हुये प्रारम्भिक स्थल सुल्तान तक।

1 गजट 1940, भाग एक पृष्ठ, 562 पर विज्ञप्ति सं0 721/चौदह—235(1)——1933, दिनांक 08 जुलाई, 1940 द्वारा सीमायें निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित की गई :——

उत्तरी सीमा-- रामनगर-रानीखेत सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क के धानगढ़ी सोत से मिलने के स्थान से ऊपर की तरफ धानगढी सोत के बाये किनारे के गजर सोत (Gajar sot) से मिलने के स्थल तक ; इसके बाद गजर सोत से बाये किनारे से ऊपर की तरफ कुछ दूर उस स्थल तक जहां वह सुल्तान धानगढ़ी बैलगाड़ी सड़क से मिलती है ; इसके बाद बैलगाड़ी सड़क के ऊपर की तरफ सुल्तान विश्रामगृह के पश्चिम में लगभग 100 गज पर उस स्थल तक जहां वह सुल्तान—ढिकाला (Sultan Dhikala) मोटर सड़क से मिलती है ; इसके बाद ऊपर की तरफ लाइन को काटते हुये सांगुनी सोत (Sanguri Sot) की एक शाखा तक ; इसके बाद सांगुरी सोत की इस शाखा के बीच से नीचें की तरफ उस स्थल तक जहां वह मुख्य सांग्री सोत से मिलती है; इसके बाद मुख्य सांग्री सोत से नीचे की तरफ उस स्थल तक जहां वह गैराल विश्रामगृह के पास रामगंगा नदी से मिलती है। इसके बाद रामगंगा नदी की मुख्य धारा के जल के बाये सिरे से या यदि लगभग उसी तरह (या नाप) की एक से अधिक धारायें हो तो रामगंगा नदी की बायीं या दक्षिणी मुख्य शाखा के जल के सिरे के किनारे किनारे रोहिणी पडाव (Rohni Padao) के ठीक पूर्व तक ; उसके बाद ठीक पश्चिम में सीधी रेखा में रोहिनी पड़ाव तक; इसके बाद मुख्य पाटली-दून बैलगाड़ी सड़क से उस स्थल तक जहां वह पंछेरी छोर (Panchari Chor) में मोटर सडक से मिलती है । इसके बाद पश्चिम की तरफ मोटर सडक से होते हुये उस स्थल तक, जहां वह बक्सर-तुमरिया मोटर सडक से मिलती है ; इसके बाद मोटर सडक के इस चौराहे से सीधी रेखा में (जो जमीन पर दिखाई गई है) दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व की तरफ ढिकाला बक्सर बैलगाड़ी सड़क पर लिडपानी सोत पुल (Lidpani Sot Bridge) तक ; इसके बाद एक और सीधी रेखा में (जो जमीन पर दिखाई गई है) दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम की तरफ जारा सोत (jara Sot) के दाहिने ऊंचे किनारे के निचले सिरे के स्थल (जो जमीन पर दिखाई गई है) तक ; इसके बाद इस सोत के दाहिने किनारे से नीचे की तरफ उस स्थल तक जहां वह बक्सर के पास रामगंगा नदी से मिलती है ।

(अनुसूची)

पश्चिम सीमा— इसके बाद रामगंगा नदी के मुख्य धारा के जल के बाये सिरे से होते हुये लकड़घाट में उस स्थल तक, जहां पहाड़ियां समाप्त हो जाती है। इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में पहाड़ियों की तलहटी में एक काटने वाली रेखा से होते हुये लकड़घाट वन रक्षी चौकी तक; इसके बाद सीधी रेखा में (जो जमीन पर दिखाई गई है) बाह्रय प्रभागीय सीमा स्तम्भ संख्या 827 तक ।

दक्षिणी सीमा— इसके बाद पूर्व के बाद रक्षित वन सीमा से होते हुये रक्षित वन स्तम्भ संख्या 975 तक, जहां तक कालागढ़ रक्षित वन के अधिकार क्षेत्र संख्या 4 की सीमा से मिलती है । इसके बाद अधिकार क्षेत्र संख्या 4 की सीमा से होते हुये उस स्थल तक जहां वह कोटी राउ (Koti Rao) से मिलती है ; इस कोटी राउ के बाये किनारे से ऊपर की तरफ उस स्थल तक, जहां वह जमनाग्वार—मैलानी सड़क से मिलती है । इसके बाद पूर्व की तरफ इस सड़क से होते हुये लालढांग तथा ढेला (Laldhang and dhela) वन खंड की उत्तरी सीमा बनाती है, उस स्थल तक, जहां वह मैलानी सोत (Malani Sot) से मिलती है । इसके पूर्व की तरफ मैलानी बिजरानी बैलगाड़ी सड़क से होते हुये जो ढेला वन खण्ड, संविभाग 9 तथा सवालडेह (Sawaldeh) वन खण्ड की उत्तरी सीमा बनाती है, उस स्थल तक, जहां वह बिजरानी सोत से मिलती है ।

पूर्वी सीमा— इसके बाद बिजरानी सोत से बाये किनारे तथा रत्तापानी राउ (Ratta Pani Rau) के बाये किनारे की ऊपर की तरफ एक काटती हुई रेखा में, उत्तर दिशा की तरफ आखिरी डण्डा रिज (Akhri Danda Ridge) में इसके शीष तक। इसके बाद सीधी रेखा में रत्तापानी चोटी (Rottapani peak) तक। इसके बाद बाड़ा पनोद (Bara Panod) के दाहिने किनारे से नीचे की तरफ उस स्थल तक, जहां वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की रामनगर रानीखेत सड़क से मिलती है । इसके बाद इस सड़क से होते हुये उस स्थल तक, जहां वह धानगढी सोत से मिलती है ।

THE UNITED PROVINCES NATIONAL PARKS ACT, 1935¹ [U. P. ACT No. 1 OF 1935]

Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian-Laws) Order, 1937.

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950.

[Received the assent of the Governor on March 23, 1935, and of the Governor-General on April 30, 1935, and was pubished² under section 81 of the Government of India Act, 1919, on May 11, 1935].

AN

ACT

to provide for the establishment of national parks and the preservation of wild animal life or other objects of scientific interest therein, and for incidental matters.

WHEREAS it is expedient to make provision for the establishment of national parks, and whereas the previous sanction of the Governor General has been obtained under sub-section (3) of section 80-A of the Government of India Act, it is hereby enacted as follows:

Short title and extent

- 1. (1) This Act shall be called the United Provinces National Parks Act, 1935.
 - (2) It shall come into force on such date³ as the [State Government]⁴ may, by notification in the [Official Gazette]⁵ appoint in this behalf.
 - 1- For S. O. R. see Gaz. 1934, pt. VIII, p. 245.
 - 2- See Gaz. 1935, Pt. VII, pp. 45 --47.
 - 3- The Act came into force on August 8, 1936. See Not. no. 542.1; XIV-235 (1). 1933, d. Aug. 6, 1936, in Gaz, 1936, Pt. I, p. 891.

This Act has been extended to the areas mentioned in column 1 of this table under the Act or Order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification , if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area :

Area	Act or Order under which extended	Notification, if any, under which enforced	Date from which enforced
1	2	3	4
1. Rampur district	Rampur (application of laws) Act) 1950		December 30, 1949
2. Banaras district	Banaras (ditto)Order, 1949	Nos.3262 (1) and 3262(2)/XVII.d.Nov. 30.1949	November 30, 1949
3. Tehri-Garhwal district	Tehri Garhwal (ditto) Order, 1949	Ditto	Ditto

- 4- Subs. by the A.O. 1950 for (provincial Government) which had been subs. by the A.O. 1937 for (L.G).
- 5- Subs. for (Gazette) by the A.O. 1937.

Definitions

- 2. In this Act] and in rules made under this Act, unless inconsistent with the context-
 - (1) "Animal" means any mammal, reptile (excluding snakes other than python), or bird.
 - (2) "Forest Officer" means a Forest Officer as defined in section 2 of the Indian Forest Act, 1927 and includes any person appointed for carrying out the purpose of this Act.
 - (3) "Park" means a national park constituted under this Act.
 - (4) "Trap" includes any contrivance or device by means of which an animal can be captured.
 - (5) "Weapon" includes any firearm or ammunition therefor, or any other instrument capable of propelling a projectile, or capable of being propelled or used in such a manner that any animal can be killed or injured thereby.

Constitution of a national park

The area¹ defined in the schedule to this Act is hereby Constituted a national park for the propagation and preservation thereof wild animal life or other objects of scientific interest.

Constitution of other national park

The [State Government]² may, by notification in the [Official Gazette]³, constitute any other Government forest area a nations, park for the purpose of this Act, and any park so constituted shall be deemed to be constituted under this Act:

Provided that no such notification shall be made, except on the recommendation of a resolution passed by [both Houses of the State Legislature.]⁴

Boundaries of parks

5.

6.

The boundaries of any park shall not be altered and no-portion of such park shall be capable of alienation, except on the recommendation of a resolution passed by [both houses of the State Legislature.]⁴

Control of parks and functions and duties of controlling authority

(1) Subject to the control of [the State Government]⁵ the Chief Conservator of Forests shall be the authority to control, manage and maintain any park constituted under this Act, and for that purpose within a park-

1. For the altered boundaries of the part specified in the Sch., see Notification no. 721/XIV-

For the altered boundaries of the part specified in the Sch., see Notification no. 721/XIV-235(1) 1933, date July 8, 194.0, in Gazzette 1940, Pt. I, p. 562; the altered boundaries are reproduced in footnote under the Schedule.

^{2.} Subs. by the A. O. 1950 for (provincial Government) which had been subs. by the- A. O. 1937 for (G. in C.).

^{3.} Subs. for (Gazette) by the A. O. 1937.

Subs. for (both chambers of the Provincial Legislature) by the A. O. 1950 which had been subs. for (the U. P. L. C.) by the A. O. 1937.

^{5.} Subs. by the A. O. 1950 for (the Provincial Govt.) which had been subs. for (Govt.) by A. O. 1937.

- (a) may construct such roads, bridges, buildings and :fences and carry out such other works as he may consider. necessary for the purposes of such park; and
- (b) shall take such steps as will ensure the security of animal life in such park and the preservation of such park and the animal therein in a natural state; and
- (c) may permit the erection of buildings for the accommodation of visitors, or of shops or other undertakings, provided that arrangements are made for the proper control of any such undertaking by the Chief Conservator of Forests.
- (2) The Chief Conservator of Forests may appoint or utilize from time to time such officers and servants of the Forest Department as may be necessary for the carrying out of the objects of this Act.

Saving of right in a park

No right within a national park which has been admitted and recorded by a Forest Settlement Officer under the Indian Forest Act, 1878, or under the Indian Forest Act, 1927, or which has been granted before the passing of this Act, shall be altered or interfered with, except by the consent of the right-holder or grantee affected thereby.

Purposes for which a park may be entered

8.

9.

- (1) No person shall enter or reside in a park otherwise than in accordance with rules made by the [State Government]¹
- (2) No person shall enter or reside in a park, except for the purposes of-
 - (a) health, study or recreation, or matters incidental thereto;
 - (b) travel or transport along such routes as may be defined by rules; and
 - (c) transaction of any lawful business within a park.

Prohibition of certain acts in a park

Subject to the exemptions provided below, it shall not be lawful for any person other than an officer or servant of the Forest Department-

(a) to convey into a park, or within the confines thereof to be in possession of any explosive, trap or poison, except with the permission of the Chief Conservator of Forests or of any officer of the Forest Department authorized by him to grant such permission and subject to the provisions of this Act and of the rules made under this Act:

Provided that any person entitled under the Arms Act, 1959 or any rule made thereunder to carry or possess arms of any kind in the area in which a park is situated may, after giving due notice to the Chief Conservator of Forests, or such officer as aforesaid, convey into or possess within a park such arms and ammunition therefor;

A. O. 1937 for (L. G.).

¹⁻ Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the

(b) within a park to kill, injure, capture or disturb any animal, or to take or destroy any egg or nest of any bird :

Provided that any dangerous animal may be killed in defence of human life; and

Provided also that, with the permission of the Chief Conservator of Forests, any animal may be killed to prevent injury to life or property;

- (c) wilfully or negligently to cause damage by fire or otherwise to the park or any object therein;
- (d) except with the permission of the Chief Conservator of Forests, to introduce any animal, or wilfully to permit any domestic animal to enter, into a park;
- (e) to remove from a park any animal, whether alive or dead, other than an animal lawfully introduced into such park, or any part of an animal:

Provided that clauses (a) (d) and (e) shall not apply to any ¹[person in the service of the Government²] entering the park on duty, and that the clauses (d) and (e) shall not apply to holders of rights and concessions to the extent permitted under a Forest Settlement.

Power to make 10. rules

The [State Government]³ may make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of the Act, and in particular as to all or any of the following matters --

- (a) the powers and duties of officers and servants of the Forest Department in regard to-
 - (i) the exclusion of members of the public from any area or areas within a park;
 - (ii) the killing, capturing or impounding of any animal within a park, and the disposal of such animal;
 - (iii) the disposal of any animal, vegetable or mineral or other product of a park;
- (b) the conditions subject to which a person may enter or reside in a park under section 8, and the periods of times during which a park or any portion thereof shall be open to the public;
- (c) the conditions under which the services or attendance of officers or servants of the Forest Department may be obtained by the person entering, passing through or sojourning within a park, and the fees to be paid in respect of such services or attendance;
- (d) the fees (if any) to be paid for permission under section 8 to enter or reside in a park, for the admission of animals, or of motor cars or other vehicles, for the taking of photographs within a park, or for any other purpose connected with the use and enjoyment of a park;

¹⁻ Subs. by the A. O. 1937 for (Government Official).

²⁻ Subs. by the A. O. 1950 for [Crown].

Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs, by the A. O. 1937 for (L. G.).

- (e) the protection and preservation of a park and of the animals and the property therein;
- (f) the regulation of traffic and carriage of passengers in a park, the points by which persons may enter, and the routes by which they may pass through a park;
- (g) the protection from defacement by writing or otherwise of any tree, bridge, rock, fence, seat or other object in a park;
 - (h) the power to compound offences;
 - (i) the delegation of his powers by the Chief Conservator of Forests.

Penalties

- 11. (1) Whoever does any act in contravention of any of the provisions of this Act or of any rules made under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month, or fine which may extend to five hundred rupees or both.
 - (2) Any animal or part thereof in respect of which an offence has been committed under this Act, and any weapon or trap used in committing any such offence, shall be liable to confiscation. Such confiscation may be in addition to any other punishment prescribed for such offence.

Power to arrest without warrant and power of search. Act XVI of 1927

12.

- (1) In respect of an offence punishable under section 11 of this Act such of the provisions of section 64 to 68 of the Indian Forest Act, 1927, as are applicable, shall apply, as if such offence were a forest offence punishable under the Indian Forest Act, 1927.
- (2) Any Forest Officer or Police Officer may, without a warrant, search within a park any place, building, tent, vehicle or receptacle reasonably suspected to contain anything liable to confircation under sub-section (2) of section 11, and may seize and retain any thing wherever found.

Saving Act XVI of 1927 13. Nothing in this Act shall effect or limit the operation of the provisions of the Indian Forest Act, 1927, in respect of any area constituted a park under this Act.

[Schedule]

SCHEDULE

DESCRIPTION I OF BOUNDARIES OF THE NATIONAL PARK REFERRED TO IN SECTION 3

North- From the Sultan bungalow down the Sanguri sot to Gairal, such thence down to left bank of the Ramganga river to Runani parao, thence westwards down the Patli Dun road to Boxer bridge.

West- Thence west and south down the left bank of the Ramganga river to Kalagarh.

South- Thence eastwards along the reserved forest boundary to reserved forest boundary pillar no. 795 where it meets the boundary of rights area no.4 of the Kalagarh reserved. Thencealong the boundary of rights area no. 4 to its junction with the Koti rao. Thence up the Koti rao to its junction with the Malani-Jamnagwar road. Thence eastwards along this road to its junction with the Bijrani sot.

East- Thence up the Bijrani sot and the Rattipani rao to its head. Thence in a straight line to the head of the Bara Panad. Thence down the Bara Panod to its junction with the Ramnagar-Ranikhetroad. Thence along the road to Dhangarhi. Thence along the Dhangarhi- Sultan cart road to Sultan, the starting point.

1. Boundaries altered as follows by notification no. 721/XIV-235 (1)-1939, d. July 8, 1940, published in Gaz. 1940, Pt. 1, p. 562.

Northern Boundary—From the junction of the Ramnagar-Ranikhet, public Works Department road with the Dhangarhi sot to its junction with the Gajar sot; thence up the left bank of the Gajar sot for short distance to its junction with the Sultan Dhangarhi cart road; thence' up that cart road to its junction with the Sultan Dhikala motor road about 100

yards west of Sultan Rest House; thence along a cut line northwards to one of the branches of the Sanguri Sot; thence down the centre of this branch of the Sanguri sot to its junction with the main Sanguri sot; thence down the main Sanguri sot to its junction with the Ramganga river near Gajaral Rest House. Thence along the left edge of the water of the main stream of the Ramganga river (or, if there is more than one stream of approimately the same size, along the left edge of the water of the left or southerly main branch of the Ramgunga river) to a point due East of Rohini parao, thence due 'West in a straight, line to Rohini parao; thence along the main Patli Dun cart road to its junction with the motor road at Puncherichor. Thence westwards along the motor road to its junction with Basksar-Tumeia motor roadg; thence from this motor- road junction In a straight line (demarcated on the ground) running S. S. E. to the Lidpani sot bridge on the Dhikala-Baksar cart road; thence in another stright line (demarcated on the ground) running S, S. D. W. to a point (demarcated on the ground) at the foot of the right high bank of the Jara sot; thence down the right bank of this sot to its junction with the Ramganga river near Baksar,

[The United Provinces National Parks Act, 1935]

[Schedule]

Western Boundary- Thence along the left edge of the water of the main stream of the Ramganga river to the point at Lakarghat where the hills cease; thence along a out line along the foot of the hills in a S. E. direction to Lakarghat Forest Guard schowki; thence in a straight line (demarcated on the ground) to external divisional boundary pillar no. 827.

Southern Boundary- Thence eastwards along the reserved forest boundary to reserved forest boundary pillar no. 975 where it meets the boundary of the rights area no. 4 of the Kalagarh reserve, thence along the boundary of rights area no. 4 to its junction with the Koti Rau. Thence up the left bank of the Koti Rau to its junction with the Jamnagwar-Malani Road. Thence eastwards along this road, which forms the northern boundary of the Laldhang and Dhela forest blocks, to its junction with tile Malani sot. Thence eastwards along the Malani-Bijrani cart road, which forms the northern boundary of Dhela forest block, compartment 9 and of Sawaldeh forest block, to its junction with the Bijrani sot.

Eastern Boundary- Thence in a northerly direction along a cut line up the left bank of the Bijrani sot and the left bank of the Rattapani Rau to its head on the Akhiri Dands Ridge. Thence in a straight line to the Rattapani peak. Thence down the right bank of the Bara Panod to its junction with the Ramnagar-Ranikhet Public Works Department road. Thence along this road to its junction with the Dhangarhi Sot.